न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वाद संख्या 39 / 2014

श्री हीरालाल पुत्र भागीरथ उम्र बालिग जाति तेली निवासी ग्राम–शिखरानी, तहसील–बिजयनगर, जिला– अजमेर।

.........वादीगण

बनाम

1. श्री सोहनलाल पुत्र श्री भूरा उम्र बालिग
2. श्री प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री गोपीलाल उम्र बालिग
3. श्री सांवरलाल पुत्र स्व0 श्री गोपीलाल उम्र बालिग
4. श्री घीसूलाल पुत्र श्री रामकरण उम्र बालिग
5. श्री सूखपाल पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग
6. श्री किशन पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग
7. श्री रणजीत पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग
8. श्रीमति सुगनी पत्नि श्री कल्याण उम्र बालिग
9. श्री छगनलाल पुत्र रामकरण उम्र बालिग
10. श्री मगना पुत्र रामकरण उम्र बालिग
11. झमकू पुत्री रामकरण उम्र बालिग
12. संतोक पुत्री रामकरण उम्र बालिग
13. जस्सू पुत्री रामकरण उम्र बालिग
14. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मण उम्र बालिग
15. श्री उगमराज पुत्र श्री लक्ष्मण उम्र बालिग
16. श्री मदनगोपाल पुत्र श्री लक्ष्मण उम्र बालिग
17. श्री बजरंग पुत्र स्व0 श्री हरिराम उम्र बालिग
18. श्री विष्णु पुत्र स्व0 श्री हरिराम उम्र बालिग
19. श्री शंकर पुत्र श्री मोहन उम्र बालिग

    समस्त जाति तेली निवासीगण ग्राम शिखरानी तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।

20. राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील–बिजयनगर जिला, अजमेर।

........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–रा. अधि. सहपठित धारा 88 रा. काश्त. अधिनियम

1. श्री महेश पाण्डया वकील
   वादी उपस्थित
2. श्री गोविन्द नारायण शर्मा
   वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 19 अनुपस्थित
3. पैरोकार प्रतिवादी संख्या 20 उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 30/9/2016

वादी ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम शिखरानी –।। तहसील मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबंदी संख्या 2069–72 के खाता संख्या 667 कुल खसरा किता 13 रकबा 29–11–00 बीघा व 664 खसरा नं. 2652 रकबा 1–15–00 व खाता संख्या 128 कुल खसरा किता 8 रकबा 12–14–00 वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में चली आती है ।

वादी नाबालिग अवस्था में स्व0 श्री भागीरथ के गोद चला गया था और उसी के पास बड़ा हुआ और उसने स्व0 भागीरथ की सेवा की है इसी कारण वादी को ग्राम शिखरानी में खसरा संख्या 2247/15 रकबा 05 बीघा भूमि हीरा पुत्र भागीरथ के नाम से आवंटित की गई थी । राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र सभी में वादी की वल्दियत भागीरथ से ही है । ग्राम पंचायत शिखरानी ने भी इसकी पुष्टी अपने प्रमाण–पत्र से की है । अतः वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर वादी की वल्दियत हीरा वल्द भागीरथ राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 स्वयं एवं उनके वकील उपस्थित आये उन्हें प्रयाप्त अवसर दिये जाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया और अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 20 ने अपने प्रतिवाद पत्र में अपरोक्ष रूप से वाद पत्र स्वीकारते हुए न्यायालय द्वारा यदि अपेक्षित अनुतोष दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है के कथन किये है ।

ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा स्वीकार किया जाता है और बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादी की वल्दियत भूरा के स्थान पर भागीरथ होने की घोषणा की जाती है तथा ग्राम शिखरानी की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 664, 667 व 128 में हीरा लाल वल्द भूरा के स्थान पर हीरालाल वल्द भागीरथ के नाम का इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है । यथानुसार डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2016 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 16:23:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: